पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

विद्यार्थी-नियमशतकम्
Vidyarthi-Niyamshatkam

अनुक्रमणिका

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विद्यार्थी नियम पुस्तिका का परिचय	3
2.	विश्वविद्यालय परिसर नियमावली	3
3.	छात्रावास प्रबन्धन	13
4.	आवास आवंटन	19
5.	आवास सम्बंधी दिशा-निर्देश	21
6.	अतिथि सम्बंधी नियम	29
7.	उपकरणों का उपयोग तथा रख-रखाव	31
8.	सामूहिक उत्तरदायित्व	33
9.	छात्रावास शुल्क	35
10.	भोजनालय नियम	37
11.	रैगिंग विरोधी मानक	39
12.	छात्रावास प्रबन्धन के अधिकार	45

CONTENT

Sr.	Subject	Page No.
1.	Introduction to Students Rule Book	2
2.	University Campus Rules	2
3.	Hostel Management	12
4.	Hostel Allotment	18
5.	Residents Guidelines	20
6.	Visitors Rules	28
7.	Use of Gadgets	30
8.	Collective Responsibility	32
9.	Hostel Fees	34
10.	Mess Rules	36
11.	Anti-Ragging Standard	38
12.	Rights of Hostel Management	44

Introduction to Students Rule Book

Universities serve as institutions of higher education where academic, social and personal development are fostered. In order to uphold an environment conducive to learning and mutual respect, it is imperative that the students of the University adhere to established campus rules and regulations. These rules are instituted to promote safety, protect individual rights and ensure the orderly functioning of academic and extracurricular activities. Compliance with the rules reflects a commitment to academic integrity, personal responsibility and respect for others.

UNIVERSITY CAMPUS RULES:

The rules mentioned below are mandatory for all the students and research scholars registered in the University. Violation of discipline anywhere within or outside the campus shall be considered as act of indiscipline and action shall be taken against those involved. Students should read the following carefully and put them into practice:

1. Students are expected to respect teachers and other staff members. They should take care of seniority in mutual dealings and are expected to respect senior and junior students as their brothers and sisters.

2. Students should be aware that while communicating with others they should be very polite and use respectful words like *AAP, JI,* etc. They should never disregard elders nor

विद्यार्थी नियम पुस्तिका का परिचय

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सीखने और आपसी सम्मान के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के छात्र परिसर के स्थापित नियमों और विनियमों का पालन करें। ये नियम सुरक्षा को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। नियमों का अनुपालन शैक्षणिक अखंडता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय परिसर नियमावली

निम्न प्रस्तुत नियम विश्वविद्यालय में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए आवश्यक रूप से पालनीय हैं। विश्वविद्यालय परिसर अथवा परिसर से बाहर कहीं भी अनुशासन भंग करते हुए पाये जाने पर अथवा सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धितों पर यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। विद्यार्थी निम्नलिखित नियमों को ठीक से पढ़ें तथा उनके अनुसार आचरण करें:

1. सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राध्यापकों एवं सेवाकर्मियों से सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। आपसी व्यवहार में भी वरिष्ठता का ध्यान रखें, वरिष्ठों का सम्मान तथा कनिष्ठ विद्यार्थियों को अपना छोटा भाई–बहन मानकर प्रेमपूर्वक व्यवहार व सहयोग करें।
2. विद्यार्थी वार्तालाप करते समय अति विनम्रता और सहनशीलता का परिचय देते हुए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें जैसे–

ridicule them.

3. The main means of communication is speech, so it should be noted that the students should not use indecent words or regional words like *Tu, Tere Ko, Mere Ko Abe-Tabe* etc. Avoid being lax in speech.
4. If the students are found involved in any corruption or disturbances in academic activities or examination related activities or involved in creating any kind of dispute, disciplinary action shall be taken. Note that, under no circumstance one should be found harassing anyone with speech or behaviour. Raising hands on someone inside or outside the University campus shall be considered as a punishable act.
5. If a student is found to have compromised their character through consumption of narcotic substances, inedible substances, or e-cigarettes etc. on campus or procured from outside, the student will be expelled from both the hostel and the University.
6. Use of mobile phones in classes, yajna, meetings, seminars etc. is strictly prohibited. Students may use smart phones only for prescribed duration; otherwise phones shall be confiscated and the student may be fined or given physical punishment. Appropriate punishment will be imposed for misuse of mobile phones.
7. Any kind of discrimination, casteism, provincialism, regionalism, linguism or comments based on lineage, body structure, appearance and wearings etc. are punishable.
8. Disciplinary action shall be taken against students who are found involved in any kind of unwanted or indecent act on the University campus. Students may be punished for any indiscipline by the competent authority/ Disciplinary Committee/ Wardens as per the discretion and direction of Hon'ble Vice-Chancellor/ Hon'ble Pro-Vice-Chancellor.

आप, जी, इत्यादि। कभी भी बड़ों की बातों की अवहेलना न करें, न ही उपहास करें।

3. परस्पर व्यवहार में भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें जैसे– तू, तेरे को, मेरे को, अबे, तबे, अरे इत्यादि।

4. शैक्षणिक गतिविधियों या परीक्षा सम्बन्धी क्रिया–कलापों में गड़बड़ी पाये जाने पर या विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद/मारपीट की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी विद्यार्थी अपनी वाणी और व्यवहार से किसी को उत्पीड़ित करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर व बाहर परस्पर किसी के ऊपर हाथ उठाना अक्षम्य अपराध माना जायेगा।

5. चारित्रिक अशुचिता, मादक द्रव्य, अभक्ष्य पदार्थ अथवा ई–सिगरेट आदि का सेवन परिसर में करने पर अथवा बाहर से करके आने पर उस विद्यार्थी को हॉस्टल एवं विश्वविद्यालय से निष्कासन कर दिया जायेगा।

6. योग, यज्ञ, अध्ययन कक्षायें, अध्यापन, बैठकों, सभा, गोष्ठी आदि में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। विद्यार्थी स्मार्ट फोन का प्रयोग निर्धारित समय अवधि के अतिरिक्त करते हुए पाये जाते हैं तो फोन जमा कर लिया जायेगा। मोबाईल फोन के गलत उपयोग पर उचित दण्ड दिया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के द्वारा जातिवाद, प्रान्तवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद एवं शारीरिक संरचना रंग–रूप व परिधान इत्यादि विषयों के आधार पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, भेद–भाव तथा वाद–विवाद दण्डनीय है।

8. विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के अवांछित/अशोभनीय/अमर्यादित कृत्य में संलिप्तता या किसी भी प्रकार

Punishments may vary from fine, physical punishment to expulsion or rustication, as deemed appropriate.

9. All rules and regulations are for the interest and benefit of the students. However, students can submit their suggestions and complaints modestly. Unrest, disharmony, incitement of distrust, resentment, disturbance of studies, strike etc. on the campus or in the hostel for any reason are punishable. Such acts are strictly prohibited.

10. Students should come in proper uniform as prescribed, along with their identity cards on the University campus; otherwise, strict action shall be taken against them.

11. Outside the hostel, the students should dress in yogic attire. *Male students should be in neat and clean kurta-pajama or dhoti kurta and female students should be in salwar-kurta or saree.* Flashy and indecent western clothing is not acceptable on the University campus or in the hostel. Only Indian attire is allowed.

12. Only the University prescribed Track Suit and T-shirts are allowed at the time of sports and Yoga.

13. The students should use simple wear and are expected *not to use any kind of cosmetics, which are considered as a non Yogic wear.*

की अनुशासनहीनता के पाये जाने पर माननीय कुलपति, माननीय प्रति–कुलपति के दिशा निर्देशन में सक्षम प्राधिकारी/अनुशासन समिति/छात्रपाल द्वारा निर्धारित दण्ड जो उनके अपने स्वविवेक पर निर्भर होगा जिनमें अर्थदण्ड, श्रमदण्ड, निष्कासन, निलम्बन इत्यादि हो सकते हैं, जो छात्रों को अनिवार्य रूप से स्वीकार्य होंगें, दिया जायेगा।

9. विश्वविद्यालय के सभी नियम–कानून विद्यार्थियों के हित एवं लाभ के लिए हैं। फिर भी विद्यार्थी अपने सुझाव व शिकायतें नम्रता पूर्वक दे सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय को लेकर परिसर में/छात्रावास में अशान्ति, असमरसता, अविश्वास, आक्रोश तथा विद्यार्थियों के अध्ययन को बाधित कर उनको भड़काना, भ्रमित करना, हड़ताल आदि की चेष्टा करने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार के कृत्य पूर्णतया निषिद्ध हैं।

10. सभी छात्र/छात्राएं निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में रहें। निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ न पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

11. छात्रावास के बाहर हमेशा यौगिक वस्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखें। *छात्रों के लिए कुर्ता-पायजामा अथवा धोती-कुर्ता तथा छात्राओं के लिए सलवार-कुर्ता अथवा साड़ी ही स्वीकार्य है।* भड़कीले एवं अशोभनीय छोटे पश्चिमी वस्त्र स्वीकार्य नहीं हैं। छात्र–छात्राएं सजगतापूर्वक इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्रों के रुप में भारतीय परिधान ही प्रयोग करें।

12. योग एवं खेल–कूद के समय विश्वविद्यालय से प्रदत्त निर्धारित ट्रैक सूट, टी–शर्ट आदि ही धारण करें।

13. सभी छात्र/छात्राएं सादगीपूर्वक ही रहें एवं वस्त्र/केश विन्यास

14. Students are directed to follow the symbols of Vedic culture like Shikha, Yagyopaveet (sutra) and respect these symbols with full devotion along with imbibing cultural values as well as to encourage others for the same.

15. Strict action shall be taken against students found destroying, damaging, harming and misusing the University property.

16. As per the instructions of Hon'ble Chancellor, Hon’ble Vice-Chancellor and Hon’ble Pro-Vice-Chancellor, the students of the University should have 100% attendance which is mandatory in any kind of informative gatherings and campus festivals. It will be mandatory for everyone to go and return with their professors for participating the functions etc. held in Patanjali Yogpeeth Phase-2.

17. Male and female students have to sit moderately apart in all the classes, gatherings, meetings and programmes.

18. First, the female students should leave any gathering and then the males with discipline. The students should neither loiter around in groups or pairs nor they should sit in isolated places. Indecent behaviour found in the campus shall be considered an act of indiscipline.

व सौन्दर्य प्रसाधनों में मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे।

14. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वैदिक संस्कृति के प्रतीक चिह्नों यथा–शिखा, यज्ञोपवीत (सूत्र) का पूर्ण मनोयोग से सम्मान करें एवं इन प्रतीकों को स्वयं धारण करने के साथ ही अन्यों को धारण करने हेतु प्रोत्साहित करें।

15. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्पत्ति का अनाधिकृत प्रयोग या दुरुपयोग, जानबूझकर या अनजाने में क्षति पहुँचाये जाने पर अथवा ऐसी किसी सूचना प्राप्त होने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

16. संस्थागत उत्सव एवं ज्ञानवर्धक सत्र आदि में माननीय कुलाधिपति, माननीय कुलपति एवं माननीय प्रतिकुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। पतंजलि वेलनेस में सम्पन्न होने वाले पर्व आदि में अपने प्राध्यापकों के साथ निर्धारित समयानुसार शामिल होना एवं वापस आना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

17. छात्र एवं छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा कि कक्षाओं, सभाओं एवं सामूहिक कार्यक्रमों में मर्यादित रूप से अलग–अलग बैठें।

18. कक्षाओं, सभाओं एवं कार्यक्रमों की समाप्ति पर अनुशासित ढंग से पहले छात्रायें जायेंगी फिर बाद में छात्र जायेंगे। द्वार पर या अन्य स्थानों पर अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों। मर्यादा का पालन करते हुए कोई भी भाई–बहन (छात्र/छात्रा) समूह या युगल (जोड़े) में भ्रमण न करें, न किसी एकान्त स्थान पर बैठें, न ही अमर्यादित रूप से परस्पर हंसी मजाक करें या कुचेष्टा करें। यदि ऐसा करते हुए पाये जाते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

19. Students are expected to ensure the compliance of Swadeshi spirit while purchasing. It is mandatory to use Patanjali products in the campus.
20. The time for collecting goods purchased online has been fixed between 1:00 pm and 2:00 pm.
21. Students will receive motivational discourses from time to time from Param Pujya Yogarishi Swami Ji Maharaja (Hon’ble Chancellor), Ayurveda Shiromani Param Pujya Acharya Ji Maharaja (Hon’ble Vice-Chancellor) and Teachers.
22. Weekly classes may be conducted for the students for guidance by Hon’ble Pro-Vice Chancellor, other intellectuals, teachers and scholars to enhance their knowledge and hold discussions on various skill based subjects The students shall be imparted knowledge on moral values, duties, principles and Vedic way of life.
23. Old students of the University shall be called once in a year on the occasion of Guru Purnima to receive blessings from Param Pujya Swamiji Maharaj and Param Pujya Acharya Ji Maharaj to encourage the oneness among the students with the University as a family and as an inspiration to new students.

19. विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वस्तु क्रय में स्वदेशी भावना का अनुपालन सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में रहते समय उपलब्ध पतंजलि उत्पादों का प्रयोग ही अनिवार्य रूप से करना है।

20. छात्रों द्वारा मंगाये गये ऑनलाइन सामान प्राप्त करने का समय अपराह्न 1:00 से 2:00 बजे तक निश्चित है।

21. विद्यार्थियों को समय–समय पर परम पूज्य योगऋषि स्वामी जी महाराज (माननीय कुलाधिपति), आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज (माननीय कुलपति) तथा गुरुजनों से प्रेरणादायक संबोधन प्राप्त होता रहेगा।

22. हमारे नैतिक मूल्यों, कर्त्तव्यों, सिद्धान्तों तथा वैदिक जीवन पद्धति पर आधारित साप्ताहिक कक्षाये सभी के लिए सुनिशिचित है, जिसमें उपलब्धतानुसार माननीय प्रतिकुलपति महोदय एवं अन्य निर्धारित विद्वानों एवं आचार्यों का पावन सान्निध्य प्राप्त होगा। इनमें कौशल विकास के विविध विषयों पर विचार–विमर्श किया जायेगा जिससे विद्यार्थी का ज्ञान परिपक्व होगा।

23. विश्वविद्यालय के पुरातन विद्यार्थियों को कम से कम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर या अन्य सुनिश्चित अवसरों पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज का पावन सान्निध्य व आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से आमंत्रित किया जायेगा, जिससे विश्वविद्यालय परिवार में विद्यार्थियों का आत्मगौरव बढ़ सके तथा नये विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके।

HOSTEL MANAGEMENT

The following nominated officers/staff shall constitute the Hostel Administration Committee-

24. Hostel Administration Committee (HAC):

    1) Dean, Students' Welfare
    2) Hostel Warden/ Superintendent
    3) Assistant Warden
    4) Maintenance Officer / Estate Officer (Facility & Utility)
    5) Consultant
    6) Psychologist
    7) Medical Officer and Attendant
    8) Accountant/Clerk
    9) In-charge, Information Technology
    10) Hostel Floor Manager
    11) Security In-charge
    12) Hostel Supervisor (Mess, Hostel Office)
    13) Two student representatives residing in the hostel (nominated by the hostel administration)

25. Each hostel shall be managed by the Hostel Warden (a regular employee). For any complaint, students can receive guidance from the Hostel Warden/Hostel Supervisor. The complaints then should be reported by the Proctor/Hostel Supervisor to the University Disciplinary Committee through proper channel, if required.

छात्रावास प्रबंधन

निम्नलिखित नामित अधिकारी/कर्मचारी छात्रावास प्रशासन समिति का गठन करेंगे–

24. छात्रावास प्रशासन समितिः

    1) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण
    2) छात्रपाल/छात्रावास अधीक्षक
    3) सहायक छात्रपाल
    4) अनुरक्षण अधिकारी/एस्टेट अधिकारी (सुविधा और उपयोगिता)
    5) परामर्शदाता
    6) मनोवैज्ञानिक
    7) चिकित्सा अधिकारी और परिचारक
    8) लेखाकार/लिपिक
    9) सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी
    10) छात्रावास तल–प्रबंधक
    11) सुरक्षा प्रभारी
    12) छात्रावास पर्यवेक्षक (भोजनालय, छात्रावास कार्यालय)
    13) छात्रावास में निवासरत दो विद्यार्थी प्रतिनिधि (छात्रावास प्रशासन द्वारा नामित)

25. प्रत्येक छात्रावास का प्रबंधन एक छात्रपाल (नियमित सेवाकर्मी) द्वारा किया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी किसी भी मामले में छात्रपाल/छात्रावास पर्यवेक्षक से सहायता, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित मामले को कुलानुशासक/छात्रावास अक्षीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय अनुशासन समिति के समक्ष उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

26. It is mandatory for all the students and research scholars studying in the University to reside in the hostel.

27. Hostel shall be allotted to the students of Certificate, Bachelors, Masters, Diploma programmes. Hostel availability for Certificate, Post Graduate Diploma, Undergraduate, Postgraduate programs and Research scholars shall be respectively for six months / one year / three years, two years and 3 years' maximum. Hostel shall be available throughout the year for research scholars.

28. Students can use their rooms during the odd semester holidays but at the end of the year (even semester) they have to vacate the hostel. For course work, any project, institutional tasks and hostel work, students may avail the rooms with due recommendation of the concerned Dean, Dean Student's Welfare, or Proctor on payment basis by the university authority.

29. For the staff under any project, hostel may be allotted on the request of Project Officer for a limited period of time. It may be extended if required subject to availability. The hostel fees in such cases shall be decided by the Hostel Management Committee. Such residents also have to abide by the rules and regulations of the hostel. Project staff availing the hostel facility may not get any HRA. This matter be also reported to the university authority.

30. Leave is not allowed even in unavoidable circumstances without permission of the authorized officer.

26. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विधार्थियों एवं शोधार्थियों को छात्रावास में निवास करना आवश्यक होगा।

27. वैधानिक रूप से छात्रावास की सुविधा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, परास्नातक डिप्लोमा प्रमाण पत्र, परास्नातक और शोध विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। छात्रावास की कुल उपलब्धता प्रमाणपत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध विधार्थियों को क्रमशः छः माह/एक वर्ष/तीन वर्ष/दो वर्ष एवं 3 वर्ष अधिकतम अवधि तक रहेगी। शोधार्थियों हेतु छात्रावास वर्ष पर्यन्त उपलब्ध होगा, जोकि 3 वर्ष अधिकतम होगा।

28. विद्यार्थी विषम सत्रार्द्ध अवकाश के समय अपने कक्ष का उपयोग कर सकते हैं परन्तु वर्ष के अंत (सम सत्रार्द्ध) में उन्हें छात्रावास खाली करना होगा। कोर्स वर्क, परियोजना कार्य, सस्ंथागत कार्य एवं छात्रावास कार्य हेतु संकाय अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण अथवा कुलानुशासक की संस्तुति पर विश्वविद्यालय प्रबन्धन द्वारा सशुल्क निवास की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

29. कार्यरत परियोजना कर्मचारियों को परियोजना अधिकारी के अनुरोध पर उपलब्धतानुसार छात्रावास एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित छात्रावास शुल्क, आवासीय एवं अन्य शुल्क लिया जायेगा। छात्रावास में रहने वाले परियोजना कर्मचारी के लिए भी समस्त नियम मान्य होंगे जो कि विद्याार्थियों हेतु अनुपालनीय हैं। छात्रावास का लाभ उठाने वाले परियोजना कर्मचारी, आवासीय भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही वे विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में सूचित भी करेंगें।

30. विद्यार्थियों को अपरिहार्य स्थिति में भी अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश अनुमन्य नहीं है।

31. Leave of any kind during the study period may not be sanctioned. It is mandatory to be present on the specified date at the end of the leave. If the student comes late due to any reason, then fine of Rs. 500/-may be imposed per day and if comes seven days after the expiry of leave, then his/ her registration in the University may be cancelled.

32. Students should always arrive on time for the classes, meetings etc. If found late or absent they will be punished

33. It is forbidden to sit in your room with the door locked during yoga-yajna and studies, appropriate action may be taken for doing so.

34. In Yoga and Yagna, 80% attendance is mandatory and there is provision of scholarship for attendance of more than 95%.

35. Students can participate in the **Annual Shashtra Smaran** competition and win prizes.

36. Students should ensure that they read the notices pinned on the notice boards regularly, so that they do not miss any important information.

37. The University organises a "Parent Teacher Meeting" to meet parents annually. It is mandatory for all the parents/ guardians of the students to be present so that they can be

31. अध्ययन–सत्र अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अवकाश समाप्ति पर सुनिश्चित तिथि में ही उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी विलम्ब से आता है तो 500/– रुपये प्रतिदिन के अनुसार आर्थिक दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा और यदि अवकाश समाप्ति के सात दिन बाद आता है तो उसका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

32. सभी विद्यार्थी इस बात का सदैव ध्यान रखें कि कक्षाओं, बैठकों तथा सभी दिनचर्याओं में निर्धारित समय से पूर्व पहुँचें। विलम्ब से पहुँचना या अनुपस्थित रहना दण्डनीय है।

33. योग–यज्ञ और पढ़ाई के समय अपने कक्ष में कुण्डी लगाकर बैठना वर्जित है, ऐसा करने पर यथोचित दण्ड दिया जा सकता है।

34. योग और यज्ञ में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति होने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

35. छात्र–छात्राएं प्रतिवर्ष शास्त्र–स्मरण प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

36. सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर/छात्रावास में लगे सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड), (जिससे आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं) को जागरुकतापूर्वक प्रतिदिन देखने का अभ्यास बनाएं, जिससे समय–समय पर दी जाने वाली महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत रहें तथा किसी को दोषी न ठहरा सकें।

37. वर्ष में एक बार विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित ''शिक्षक–अभिभावक गोष्ठी'' में छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों को आना अनिवार्य होता है, ताकि अभिभावक अपने सम्बंधित पुत्र–पुत्रियों की गतिविधियों/उनकी अध्ययन सम्बन्धी प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकें।

informed about the academic progress of their respective wards.

38. Even after completing the attendance, it is mandatory to practice Yoga daily while staying in the University campus.

39. If any student or his/her room partner is suffering from any type of communicable disease, the student should inform the hostel supervisor/warden immediately. In case of illness, the room partner must take care of him/her with empathy and affection.

40. If any student is found consuming cigarette, alcohol or any other harmful intoxicant in the university campus due to his/her own mistake or due to bad company, then in unavoidable circumstances, a financial penalty of Rs. 1 Lakh will be imposed. If such mistake is repeated, he/she will be expelled from the university.

HOSTEL ALLOTMENT:

41. The students have to submit required personal documents at the time of admission to the University. Contact numbers and e-mail ID of the parents with address and phone number of local guardian are mandatory to submit. In case of any change in the above, the student should immediately report the hostel office in writing.

42. The hostel allotment shall be done by the hostel management. Furniture shall be provided in each room

38. उपस्थिति पूर्ण होने पर भी विश्वविद्यालय परिसर में रहते हुए प्रतिदिन योगाभ्यास करना अनिवार्य है।

39. यदि आप या आपका कक्ष साथी किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारी से ग्रस्त है तो तुरन्त छात्रावास अक्षीक्षक/छात्रपाल को सूचित करना अनिवार्य है। किसी भी साथी की रुग्णावस्था में सहानुभूति व प्रेमपूर्वक उसका ध्यान रखें।

40. विश्वविद्यालय परिसर में यदि कोई छात्र/छात्रा सिगरेट, शराब या अन्य घातक मादक द्रव्य का सेवन अपनी भूल से अथवा कुसंगति के कारण, करता हुआ पाया गया तो अपरिहार्य परिस्थितियों में एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड केवल एकबार में लिया जायेगा। दोबारा ऐसी भूल करने पर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

छात्रावास आवंटन

41. सभी अन्तेवासियों को छात्रावास में प्रवेश के समय व्यक्तिगत प्रपत्र जमा करना आवश्यक है। माता–पिता एवं स्थानीय अभिभावक का पता, दूरभाष नंबर तथा ई–मेल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी समय, माता–पिता, स्थानीय अभिभावक के पते, दूरभाष नंबर में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो लिखित रूप से छात्रावास कार्यालय को तुरंत सूचित करें।

42. छात्रावास आवंटन छात्रावास प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा। प्रबन्धन प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्कतानुसार फर्नीचर आदि की व्यवस्था प्रदान करेगा, जिसमें एक चारपाई, गद्दा, मेज, कुर्सी, नियामक के साथ छत का पंखा और एक ट्यूबलाइट सम्मिलित है। विद्यार्थियों के निवास कक्ष/कक्षों में वातानुकूलन चलाना प्रतिबंधित है। छात्रावास प्रबन्ध समिति कक्ष आवंटन के लिए उत्तरदायी हैं और उनका निर्णय अंतिम और बाध्य है। शैक्षणिक

including a cot, mattress, table, chair, ceiling fan with regulator and a tubelight. Use of air-conditioners in student rooms is prohibited. All the rights are reserved to Hostel Management Committee for the allotment of the rooms. Allocated rooms shall not be changed during the academic year except in special cases.

43. If there is any kind of change in the students' accommodation, it should be informed immediately to the hostel management/ Assistant Warden/ Warden. Otherwise, hostel management may expel the student from the hostel. Before leaving the hostel, the student has to fill the required form and all the furniture, ceiling fan and tubelight etc. shall be checked by the management. Finally, the keys have to be submitted to the hostel management.

RESIDENTS GUIDELINES:

44. Students residing in the hostel are not allowed to change their rooms or exchange their rooms with other students without written permission of the Hostel Warden.
45. Students have to maintain the cleanliness and hygiene in their rooms, washrooms and the premises; they are not allowed to paste papers or make sketches on the walls.
46. Students are not allowed to leave the hostel without the permission of the Hostel Warden. Students have to fill the checkout form to get gate pass which should be submitted to the security guard.
47. Students have to be present in the University premises

वर्ष के लिए विद्यार्थियों को आवंटित कक्ष, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बदले जाएंगे।

43. यदि छात्रावास में रहने की अवधि में किसी भी विद्यार्थी के आवास स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे अधिकृत छात्रावास के प्रबन्धन/सहायक छात्रपाल/छात्रापाल को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए अन्यथा छात्रावास प्रबंधन उसे छात्रावास से बाहर कर देगा। छात्रावास छोड़ने से पहले, विद्यार्थियों को सम्बन्धित प्रपत्र भरने होंगे, जिसमें फर्नीचर आदि के साथ विद्युत उपकरण जैसे– पंखे, ट्यूबलाईट, इत्यादि का प्रतिष्ठान निरीक्षण करेगा। अन्त में छात्रावास प्रबन्धन को चाबी सौंपना होगा।

आवासगत सम्बन्धी दिशा–निर्देश

44. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका से लिखित अनुमति के बिना अपना कक्ष नहीं बदल सकते हैं या अन्य किसी के साथ कक्ष की परस्पर अदला–बदली भी नहीं कर सकते हैं।

45. विद्यार्थियों को अपने कमरे, शौचालय और परिसर में साफ–सफाई और स्वच्छता बनाए रखनी होगी; उन्हें दीवारों पर कागज चिपकाने या स्केच बनाने की अनुमति नहीं होगी।

46. विद्यार्थियों को हॉस्टल वार्डन की अनुमति के बिना हॉस्टल छोड़ने की अनुमति नहीं है। छात्रों को गेट पास प्राप्त करने के लिए 'चेकआउट फॉर्म' भरना होगा, जिसे अनिवार्य रूप से सुरक्षा गार्ड के पास जमा करना होगा।

47. शाम 7 बजे से पूर्व सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी विद्यार्थी

before 7:00 PM. Students have to take written permission from the hostel warden for leaving or staying outside the hostel.

48. Without permission of the Hostel Warden and their parents, students are not allowed to leave the campus. Students will be allowed to go out only after their parents' written information through the designated mail/mobile number one week in advance.

49. Students will stay in their hostel rooms at night. If they have to discuss anything related to studies, they can sit and discuss in the common room of their respective residential block.

50. It is mandatory for the students to be present in the hostel between 8:00 PM and 9:00 PM. Penalty for late arrival and absence are as under:

    a) Rs. 100 for the first time
    b) Rs.500 on the second occasion
    c) Suspension from the hostel on the 3rd occasion

51. It is mandatory to register presence on the prescribed date after the vacation is over, otherwise a fine of Rs. 500/- per day will be payble. In unavoidable circumstances, the co-disciplinary committee will do the verification work as per the student's application.

52. Students should come to the hostel only after attending their last class period. If 1-2 periods are free in between, they should make good use of the library. In unavoidable

को सप्ताहांत, अवकाश या किसी भी समय, छात्रावास छोड़ने या छात्रावास से अन्यत्र निवास करना हो तो उसे छात्रावास छात्रपाल से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

48. छात्रावास छात्रपाल एवं उनके अभिभावकों (माता–पिता) की अनुमति के बिना छात्रों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। माता–पिता के द्वारा एक सप्ताह पूर्व निधारित ई–मेल/मोबाईल नम्बर द्वारा लिखित सूचना दिये जाने पर ही छात्र–छात्रा को परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।

49. छात्र–छात्राएं रात के समय अपने–अपने हॉस्टल के निर्धारित कक्ष में ही रहेंगे। यदि उन्हें पढ़ाई से सम्बन्धित चर्चा करनी है तो छात्र–छात्राएं अपने–अपने आवासीय ब्लॉक के कॉमन रूम में बैठकर चर्चा कर सकते हैं।

50. विद्यार्थियों को रात्रि 8:00 बजे से 9:00 बजे के मध्य छात्रावास में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। उपस्थिति के लिए देर से आगमन या अनुपस्थिति के लिए अर्थदण्ड निम्नानुसार देय होगा–

अ) प्रथम बार 100/– रूपये

ब) द्वितीय बार 500/– रूपये

स) तृतीय बार छात्रावास से निलम्बन।

51. अवकाश समाप्ति पर निश्चित दिनांक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है अन्यथा 500/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। अपरिहार्य परिस्थिति के लिये निर्धारित अनुशासन समिति छात्र–छात्रा के प्रार्थना पत्र पर सत्यापन का कार्य करेगी।

52. विद्यार्थी अपना अन्तिम कालांश अथवा पीरियड अटैण्ड करने के बाद ही छात्रावास में आयेंगे। बीच में 1–2 पीरियड (कालांश)

circumstances, they can come to the hostel with the permission of any of their professors.

53. Students are not allowed to organize any gatherings, birthdays, make noises, high-pitched conversation, debate and singing. If anyone is found doing so, he/she shall be imposed a penalty of Rs. 1000/-. Students should not bring anything from any other room into their rooms.

54. Students should cooperate in establishing an atmosphere of silence after Ratripatha till morning Yajna. The presence of all the students is mandatory in the evening and morning prayers. Students have to maintain discipline in the hostel and respect each other.

55. Students are not allowed to use the roof of the hostel. If found doing so, they shall be penalised with a fine of Rs. 5000/-.

56. Students are required to sign the hostel forms and any damage to the hostel property shall attract fine as per the cost' and disciplinary action will also be taken.

57. Students are not allowed to depute any unauthorised person for their personal works like washing clothes etc.

58. Any student found indulging in any undesirable activities such as any type of misconduct, damage to the University property, etc. shall be liable for expulsion from the hostel. Any actions that are contrary to the rules set by the University will be recorded in the student's personal file and damages will be recovered accordingly. The monetary

खाली होने पर पुस्तकालय का सदुपयोग करेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में अपने किसी प्राध्यापक की अनुमति से वे छात्रावास में जा सकते हैं।

53. विद्यार्थियों को छात्रावास के अंदर किसी भी पार्टी, गोष्ठी, जन्मदिन का आयोजन, शोर मचाना, उच्च स्वर में वार्तालाप, वाद–विवाद व गाना गाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1,000/– रुपये का अर्थदण्ड आरोपित होगा। विद्यार्थी किसी भी अन्य कक्ष से कोई वस्तु अपने कक्ष में नहीं ला सकता है।

54. छात्रावास में शयनकालीन मन्त्रपाठ से लेकर प्रातः कालीन यज्ञ पर्यन्त मौन का वातावरण स्थापित करने में विद्यार्थी परस्पर सहयोग देंगे। शयनकालीन और जागरणकालीन प्रार्थनाओं में सभी अन्तेवासियों की उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थियों से छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने और अन्य साथी विद्यार्थियों को आदर व सम्मान देने की अपेक्षा है।

55. विद्यार्थियों को छात्रावास की छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा वे 5,000/– रुपये अर्थदण्ड के भागी होंगे।

56. विद्यार्थियों को छात्रावास प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा छात्रावास/ विश्वविद्यालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने पर लागत के अनुसार अर्थदण्ड देना होगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी।

57. व्यक्तिगत कार्य जैसे कपड़े धोना आदि के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।

58. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार के दुराचरण/दुर्व्यवहार/ विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि अवांछनीय गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा

punishment will be as per rules. The University shall not be liable to grant any interview or benefit to them, consent for study abroad or at any other place. If any student is found hiding the above facts of the concerned student, he/she shall also be punished.

59. Student should not be found involved in any anti-national activities inside or outside the premises and should not participate in any anti-social or undesirable activities. The entry of opposite gender is strictly prohibited. In unavoidable circumstances, parents or guardians may visit the office.

60. Students are requested to keep their belongings safe and are expected not to keep any Money/expensive items etc. in the hostel. The University and the hostel management shall not be responsible for any kind of damages.

61. There is a store facility in the hostel premises for a fixed time period from where students can buy items as per their need and availability.

62. If asked, it is mandatory for the parents/guardians of the students to be present in the hostel office at the given time period. Students are expected to download one copy of this manual from the University website and share it with their parents.

निर्धारित नियमों के विरुद्ध किये गये कृत्यों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुरूप आर्थिक या अन्य दण्ड नियमानुसार होगा। ऐसे छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय के किसी भी साक्षात्कार और लाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे, उन्हें विदेश या अन्यत्र पढ़ाई करने की कोई सहमति नहीं दी जाएगी। अन्य कोई विद्यार्थी यदि उपरोक्त अनुशासनहीन विद्यार्थी की अनुशासनहीनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छिपाने की चेष्टा करता है तो उस पर भी दण्ड आरोपित होगा।

59. अंतेवासी को परिसर के भीतर या बाहर किसी भी राष्ट्र–विरोधी, असामाजिक या अवांछनीय गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में विपरीत लिंगी का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है। अपरिहार्य स्थिति में माता–पिता या अभिभावक कार्यालय तक आ सकते हैं।

60. विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने सामान को सुरक्षित रखें। छात्रावास में रूपये/कीमती आभूषण आदि अन्य महंगी वस्तुएँ न रखें। विश्वविद्यालय और छात्रावास प्रबन्धन उनके किसी भी सामान के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

61. छात्रावास परिसर में निर्धारित समयानुसार एक स्टोर की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे विद्यार्थी आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार वस्तुएं क्रय कर सकते हैं।

62. छात्रावास कार्यालय द्वारा विद्यार्थी के माता–पिता/अभिभावक को किसी कारणवश बुलाने पर उन्हें निश्चित समय अवधि पर आना अनिवार्य है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इस नियमावली की एक प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लेकर अपने माता–पिता को अवगत अवश्य करायें।

63. Any room and any student in the hostel premises can be searched at any time for which cooperation of the students is essential.

64. The room key issued to the hostellers must be kept safe and if the key is misplaced, another key may be issued upon depositing fine of Rs. 500/-. Students are not allowed to make any duplicate keys.

65. Students are also not allowed to go to professors' homes or ask for anything from them. If found doing so, disciplinary action will be taken against both the student and the professor.

66. To wake up early in the morning, it is better to sleep by 10:00 pm.

VISITORS RULES:

67. Boys will be allowed to meet their parents on the first and third Sundays and girls on the second and fourth Sundays in the reception area of the administrative block, conference hall and large auditorium. Parents / Guardian will be allowed to meet the respective students from 10:00 am to 6:00 pm.

68. No guest shall be allowed in the students room. Bringing unauthorized guests to the hostel shall be considered as an act of indiscipline and the student doing so shall be expelled from the hostel and punished for the same. All the visitors, parents/guardians have to make the necessary entries in the visitor's register kept with the security guard at the entrance of the hostel.

63. छात्रावास परिसर में किसी भी क्क्ष व किसी भी विद्यार्थी की किसी भी समय तलाशी ली जा सकती है, जिसमें विद्यार्थियों का सहयोग अनिवार्यतः अपेक्षित है।

64. अन्तेवासी अपने कक्ष की चाबी जो उन्हें दी गयी है उसे सुरक्षित रखेंगे। चाबी के खो जाने पर निर्धारित शुल्क (500 / – रुपये) जमा कर दूसरी चाबी प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवायेंगें।

65. छात्र–छात्राओं को प्राध्यापकों के आवास पर जाने की या उनसे सामान मँगवाने की अनुमति नहीं है। ऐसा पाये जाने पर छात्र और प्राध्यापक दोनों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

66. सुबह जल्दी उठने के लिए अच्छा होगा कि रात्रि 10:00 बजे तक अवश्य सो जायें।

अतिथि सम्बन्धी नियम

67. छात्रों के लिए प्रथम और तृतीय रविवार तथा छात्राओं हेतु द्वितीय व चतुर्थ रविवार को अभिभावकों से मिलने की अनुमति एडमिन ब्लॉक में रिसेप्शन, कॉन्फ्रैंस हॉल तथा बड़े ऑडिटोरियम के पीछे स्वागत पटल पर रहेगी। अभिभावकों / माता–पिता को संबंधित छात्रों से सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मिलने की अनुमति होगी।

68. किसी भी अतिथि को किसी विद्यार्थी के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है। अनाधिकृत अतिथियों को छात्रावास में प्रवेश कराने पर, विद्यार्थी को छात्रावास से निष्कासन सहित गंभीर दण्ड अनुमन्य होंगे। माता–पिता / अभिभावकों सहित छात्रावास के सभी आगंतुकों को सुरक्षा गार्ड के समक्ष छात्रावास के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका में दर्ज कराना आवश्यक है।

USE OF GADGETS:

69. Use of electrical appliances like electric chulha/heater/iron etc. are strictly prohibited in the hostel rooms. Cooking food in the hostel rooms is not allowed. The above equipment, if found in the hostel room, shall be confiscated and financial penalty shall also be imposed. Gas, cylinders, petrol etc., are strictly prohibited in the hostel.
70. In the allotted room, students are not allowed to keep and see restricted material with their literature on computers and mobiles. Viewing unauthorized/unlicensed movies, reading vulgar and anti-national literature etc. is strictly prohibited. Any kind of violation shall be treated as an act of indiscipline of severe category. The punishment for this shall be decided by the officials. Use of any device/ instrument is prohibited that causes inconvenience to other students. Use of personal ACs, TVs, VCRs and VCDs/ DVDs is prohibited.
71. The responsibility for the upkeep of the allotted room shall be of the student. The environment of the hostel including rooms maintenance has to be kept properly. Students have to inform the hostel management about any repair and maintenance (civil, carpentry, and electrical) immediately, so that it can be done on payment basis within time.
72. Students shall be responsible for any damage at their rooms. If the student vacates or changes the room, it shall be the responsibility of the student to submit all the furniture and fittings without damage. Students shall not move any furniture from his allotted room and shall not damage them in any way. If there is any extra item in the

उपकरणों का उपयोग तथा रख-रखाव

69. बिजली के उपकरणों जैसे विद्युत चूल्हा/हीटर/प्रेस आदि का उपयोग निवास के लिए आवंटित किसी भी कक्ष में वर्जित है। विद्यार्थी को कक्ष में खाना पकाना वर्जित है। उपरोक्त उपकरण, पाए जाने पर जब्त कर लिए जाएंगे और आर्थिक दण्ड भी आरोपित किया जाएगा। छात्रावास के कमरे में गैस, सिलेण्डर, पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थ रखना पूर्णतः वर्जित है।

70. आवंटित कक्ष में विद्यार्थियों को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल पर प्रतिबंधित पुस्तक, साहित्य, राष्ट्र विरोधी साहित्य, चलचित्र आदि रखने/देखने की अनुमति नहीं है। इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीर श्रेणी की अनुशासनहीनता मानी जाएगी और दण्ड का निर्धारण विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। व्यक्तिगत टीवी, वीसीआर और वीसीडी/डीवीडी का उपयोग निषिद्ध है।

71. आवंटित कक्ष की समस्त जिम्मेदारी प्रत्येक विद्यार्थी की स्वयं होगी। उसे अपने छात्रावास का पर्यावरण एवं कक्ष को स्वच्छ रखना होगा। सभी विद्यार्थी समय–समय पर मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों (सिविल, बढ़ईगिरी, और विद्युत) की स्थिति में छात्रावास कार्यालय प्रबन्धन को सूचित करेंगे, जिसका सशुल्क निस्तारण समय पर किया जाएगा।

72. अंतेवासी अपने कक्ष की संपत्ति की क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। जब कोई विद्यार्थी छात्रावास खाली करता है या बदलता है तो फर्नीचर और अन्य सामग्रियों को क्षतिरहित सौंपना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। विद्यार्थी अपने आवंटित कक्ष से किसी भी फर्नीचर को स्थानांतरित नहीं करेगा और किसी भी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि एक

room, students living in the room should hand it over to the hostel administration. Students failing to do so shall be liable to monetary penalty as decided by the hostel administration.

73. Students' cooperation is expected in maintenance work etc. and with the Hostel Management Committee as per the requirement. The rooms shall have to be vacated for repairs etc., and at that time, the management shall try to provide alternative accommodation to the students and accommodation may also be arranged in the common hall.

74. Students should spread wet/soaked clothes at the given place and not in public places. They should not keep them on doors, rooms, tables etc.

COLLECTIVE RESPONSBILITY

75. The responsibility of the hostel property shall be collectively on all the students. If the person responsible for any damage is not identified, then the loss of damage has to be borne personally/collectively by the students.

76. Every unwanted incident has to be reported immediately to the hostel management/ Hostel Supervisor/ Hostel Warden.

77. Use of powered vehicles by the students is not allowed. Otherwise he/she shall be punished with confiscation of the vehicle with substantiate fine. Students have to follow all the rules and regulations of the traffic inside the premises.

78. It is necessary for the students to be aware of the environment, and it is their responsibility to keep University

कक्ष में नियमानुसार अधिक कोई अतिरिक्त वस्तु है, तो कक्ष में रहने वाले उन्हें छात्रावास प्रशासन को सौंप देंगे, जिसमें विफल रहने पर वह छात्रावास प्रशासन द्वारा तय किए गए आर्थिक दण्ड के अधिकारी होंगे।

73. रखरखाव आदि कार्यों में विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है और छात्रावास प्रबन्धन कमेटी की आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि कार्यों हेतु कक्षों को रिक्त करना होगा। ऐसे समय पर, छात्रावास प्रशासन विद्यार्थियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का प्रयास करेगा। यदि कक्ष भरे हैं और किसी भी रखरखाव का काम किया जाना है, तो आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी छात्रावास की होगी तथा कॉमन हॉल में भी आवास की व्यवस्था करायी जा सकती है।

74. विद्यार्थी गीले/भीगे वस्त्रों को यथास्थान पर ही सुखाने के लिए फैलायें न कि सार्वजनिक स्थानों पर। कक्ष में इधर–उधर, दरवाजों, टेबल आदि पर न छोड़ें।

सामूहिक उत्तरदायित्व

75. छात्रावास की संपत्ति का सामूहिक उत्तरदायित्व सभी अन्तेवासियों का होगा। किसी भी प्रकार की क्षति करने वाला दोषी विद्यार्थी चिन्हित नहीं होता है तो व्यक्तिगत/सामूहिक रूप से विद्यार्थियों से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

76. अन्तेवासियों को किसी भी अप्रिय घटना की सूचना सहायक छात्रपाल/छात्रावास प्रबन्धन/छात्रपाल आदि को अविलम्ब देनी होगी।

77. विद्यार्थियों द्वारा वाहनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध है। अन्यथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले अन्तेवासी दण्ड के पात्र होंगे।

campus neat and clean. Garbage should not be thrown here and there. Non-biological degradable/melting objects like polybags should not be used.

79. Students' participation is mandatory in all the public awareness programs organized by the University such as Cleanliness Campaign, Voter Awareness Campaign, Plantation, Blood Donation Campaign, etc.

80. The jurisdiction of the University of Patanjali is limited to the institutional premises. If any student violates law and order outside the University, then he/she may be liable for police action. Therefore, in this situation, strict decision will be taken by the University Disciplinary Committee, because wrong actions create an adverse impression about the entire institution.

HOSTEL FEES:

81. Married research scholars/students who have been allowed to stay in the hostel will have to pay the full hostel fee for the session on the allotment of the hostel, even if the student vacates in mid-session. Further allotment of the hostel to such students shall be done on the submission of full hostel fee for the semester.

विश्वविद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों को ट्रैफिक के सभी नियम कानून का पालन करना होगा।

78. विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, तथा विश्वविद्यालय परिसर को साफ–सुथरा रखना उनका दायित्व है। कूड़ा–कचरा इधर–उधर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीबैग जैसी गैर–जैविक रूप से सड़ने/गलने वाली वस्तुओं का उपयोग न करें।

79. जनजागरुकता के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किये जाने वाले–स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरुकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान अभियान आदि कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य रहेगा।

80. पतंजलि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित है। यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बाहर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो वे पुलिस कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी होंगे। अतः इस परिस्थिति में विश्वविद्यालय अनुशासन समिति के द्वारा कठोर निर्णय लिया जायेगा, क्योंकि गलत कार्यों से संपूर्ण संस्थान प्रभावित होता है।

छात्रावास शुल्क

81. जिन विवाहित शोधार्थियों/विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की अनुमति दी गई है, उन्हें छात्रावास आवंटन के समय सत्र की पूरी छात्रावास फीस जमा करवानी होगी, भले ही विद्यार्थी बीच सत्र में ही छात्रावास खाली कर दे। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास का आवंटन अगले सेमेस्टर की पूरी छात्रावास फीस जमा कराने पर किया जाएगा।

MESS RULES:

82. No student shall be allowed to stay in the hostel without availing mess facility. Students have to carry their identity card so that the mess supervisor can verify as and when required.

83. Students should strictly follow mess timings as scheduled Breakfast 8:00 AM to 8:50 AM, Lunch 1:00 PM to 1:50 PM, Dinner 7:30 PM to 8:15 PM.

    Note : *The timings may change under special circumstances.*

84. The system of self-service shall be followed in the mess.

85. With prior information and special token, mess can be used by the guardians for limited period.

86. No student is allowed to enter the kitchen or store room of the mess except the mess staff and hostel administration, otherwise action be taken.

87. Students are not allowed to cook food in mess or in their rooms. Students are not allowed to take food or mess utensils out of the mess. Food shall not be served to any student in the hostel rooms without recommendation of Institutional Medical Officer in writing. If a student is medically ill and needs food, then khichdi etc. may be arranged as per the availability on request of the Hostel Warden.

भोजनालय नियम

82. किसी भी विद्यार्थी को भोजनालय की सुविधा के बिना छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। छात्रों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर भोजनालय सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया जा सके।
83. छात्रों को भोजनालय समय का पूर्णतः पालन करना होगा। नाश्ता सुबह 8:00 बजे से 8:50 बजे तक, दोपहर का भोजन दोपहर 1:00 बजे से 1:50 बजे तक, रात्रि भोजन शाम 7:30 बजे से 8:15 बजे तक निर्धारित है।

    नोट : विशेष परिस्थितियों में समय परिवर्तन किया जा सकता है।
84. भोजनालय में स्वयं–सेवा की प्रणाली का पालन किया जाएगा।
85. विद्यार्थी पूर्व सूचना देकर उपयुक्त टोकन के आधार पर अपने अभिभावकों को भोजनालय का लाभ दे सकते हैं।
86. भोजनालय स्टाफ और छात्रावास प्रशासन को छोड़कर (निरीक्षण हेतु) किसी भी छात्र को भोजनालय के किचन या स्टोर कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
87. विद्यार्थियों को भोजनालय में या अपने कक्षों में खाना पकाने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थियों को भोजनालय से खाना लाने या भोजनालय के पात्रों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी विद्यार्थी के लिए छात्रावास के कक्षों में तब तक भोजन नहीं जाएगा, जब तक लिखित रूप से संस्थागत चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसा करने हेतु संस्तुति न दी गई हो। यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सकीय रूप से बीमार है और उसे चिकित्सकीय आहार की आवश्यकता होती है, तो छात्रावास अधीक्षक के अनुरोध पर उपलब्धता अनुसार खिचड़ी आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

88. No student shall waste food. Payment of mess fee does not give the right to waste food.

89. Students should observe peace and humility in the mess. Students are prohibited for entertaining any pet in the mess; and to serve them roti, biscuits etc. Such practices that may result in the spread of bacteria, germs or viruses, should not be encouraged under any circumstances.

90. Students should keep the leftover food and utensils etc. at the designated place. while coming/going for meals, students should not wear sleeveless wearings within the mess.

91. Birthday can be celebrated in a satvik way in the mess between 5:00 PM and 6 PM, but DJ, dance etc. are not allowed. Only parents or siblings can participate in it.

ANTI RAGGING STANDARD

CURBINC THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009 (under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956), vide notification F.1-16/2007 (CPP-II) dt. 17.06.2009. Ragging is a punishable crime. In view of the directions of theHon'ble Supreme Court in the matter of “University of Kerala v/s. Council. Principals, Colleges and others” in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009: the following is to be strictly enforced. Ragging includes any conduct by any student or students

88. कोई भी विद्यार्थी भोजन को अवशिष्ट नहीं करेगा। भोजनालय शुल्क भुगतान भोजन को अवशिष्ट करने का अधिकार नहीं देता।

89. भोजनालय में विद्यार्थी शान्ति व विनम्रता का परिचय दें। विद्यार्थियों को किसी भी पालतू जानवर को भोजनालय में ले जाना अथवा उन्हें रोटी, बिस्किट आदि देना निषिद्ध हैं। ऐसे अभ्यासों को जिससे जीवाणु, कीटाणु, वायरस फैलने की संभावना हो, किसी भी परिस्थिति में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

90. भोजन उपरांत विद्यार्थी बर्तन आदि नियत स्थान पर रखें। भोजनालय में आते समय विद्यार्थियों को बिना आस्तीन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।

91. भोजनालय में सायं 5 से 6 बजे के बीच सात्विक रूप से जन्मदिन मना सकते हैं लेकिन उसमें कोई डी.जे., डांस आदि की अनुमति नहीं हैं। माता–पिता या सगे भाई–बहन उसमें शामिल हो सकते हैं।

रैगिंग विरोधी मानक

उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग की चुनौती को समाप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2009 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 (1) (जी) के तहत) अधिसूचना, फाइल संख्या 1–16/2007 (सी पी पी–02) उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध परिषद प्राचार्य, विश्वविद्यालय और अन्य ”एसएलपी नं 2006 का 24295 दिनांक 16.05.2007 और सिविल अपील संख्या 887 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के आलोक में दिनांक 17.06.2009 से रैगिंग दण्डनीय अपराध है। यह किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किसी भी गलत आचरण को निषिद्ध

whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student shall not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student. It also includes any act done with or without an intent to derive a sadistic pleasure or to showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student. These provisions aim to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force. In view of the above an anti ragging squad is active and our campus is ragging free. Hence any such activities if occur shall be viewed with due seriousness and the student shall be subjected to subsequent actions as per the stipulated act. What constitutes raging-raging institute one or more of the following act:

92. Any conduct by any student or students whatever by words spoken or written or by an act which has effect of teasing treating or handling with rudeness a fresher or any other students.

करने के लिए प्रभावी हुआ है, चाहे वह शब्दों द्वारा लिखा या बोला गया हो अथवा किसी ऐसे कार्य से हो, जिसका प्रभाव हो चिढ़ाना, गलत व्यवहार करना या किसी छात्र के साथ क्रूर आचरण, या किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा ऐसी अनुशासनहीनता गतिविधियों में लिप्त होना, जो कष्ट या कठिनाई का कारण बनता है। किसी नवीन या किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों में भय या आशंका पैदा करने के लिए या विद्यार्थियों को ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना, जिससे छात्र के उपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव या पीड़ा या लज्जास्पद हो, जिससे कि किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों की शारीरिक या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों पर किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा हंसी उड़ाना या शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता या वर्चस्व दिखाने का प्रयास करना। विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा उन विद्यार्थी या विद्यार्थियों को दण्डित करना होगा जो इन विनियमों के तहत इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं तथा जो इन विनियमों और दिये गये उपयुक्त सशक्त कानून के अनुसार रैगिंग में लिप्त पाये जाते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में एक रैगिंग विरोधी समिति बनी है और हमारा परिसर रैगिंग मुक्त है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होती है, तो उसे गंभीरता के साथ देखा जाएगा और निर्धारित अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के तहत रैगिंग विरोधी समिति या शैक्षणिक संस्थान आरोपित विद्यार्थी या विद्यार्थियों को दण्डित करेगा—

92. नवप्रवेशी विद्यार्थियों के साथ या किसी अन्य विद्यार्थी के साथ अनुचित बोला गया, अनुचित लिखा गया अथवा छेड़छाड़ की घटना को रैगिंग कहा गया है।

93. Asking any student to do any act which such student shall not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame or torment or imbursement so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other students. Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic task assigned to an individual or a group of students. Any act or abuse by spoken words, email, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill, actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student, called ragging.

94. The Anti-Ragging Committee of the University shall take an appropriate decision in regard to punishment or otherwise. Depending on the facts of each incident of ragging and nature of and gravity of the incidents of ragging established in the recommendation of the anti - ragging squad.

95. The anti-ragging committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the anti-ragging squad, award to those found guilty, one or more of the following punishment be given, namely:

- suspension from attending classes and academic privileges

- Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits

- Debarring from appearing in any test /examination or other evaluation process

93. किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को कोई भी कार्य करने के लिए कहना, जो ऐसे विद्यार्थी या विद्यार्थियों के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं है और जिससे उसे पीड़ा या असंतुलन की भावना पैदा हो रही हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विद्यार्थी या विद्यार्थियों की सेवाओं का शोषण करना। नवीन एवं अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों को अपशब्द बोलना, ईमेल भेजना, पोस्ट करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना तथा उसकी शान्ति को विकृत करना रैगिंग कहलाता है।

94. विश्वविद्यालय की रैगिंग विरोधी समिति, रैगिंग की प्रत्येक घटना के संबंध में तथ्यों, घटना की प्रकृति तथा घटना की गंभीरता के आधार पर, जैसा कि रैगिंग विरोधी दस्ते की संस्तुति में स्थापित किया गया है, दण्ड देने या न देने के संबंध में उचित निर्णय लेगी।

95. रैगिंग विरोधी समिति, रैगिंग विरोधी दस्ते द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता के आधार पर, दोषी पाये गये व्यक्तियों को निम्नलिखित में से एक या अधिक दण्ड दे सकती है। जैसे–

– कक्षाओं में उपस्थित होने से निलम्बन और शैक्षणिक विशेषाधिकार से वंचित करना।

– छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति और अन्य लाभों से वंचित करना।

– किसी भी परीक्षण/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया रोकना।

– परीक्षा परिणाम रोकना।

– छात्रावास से निलम्बन/निष्कासन।

– प्रवेश निरस्त करना।

– एक से चार सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से

- Withholding result
- Suspension/expulsion from the hostel
- Cancellation of admission
- Rustication from the University for a period ranging from one to four semesters

96. Expulsion from the University and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period. Provided that, if the person committing or abetting the act of ragging is not identified, the University shall resort to collective punishment.

RIGHTS OF HOSTEL MANAGEMENT

97. Violation of any of the above guidelines shall attract enquiry by the hostel management. If the student is found guilty, the hostel management shall take appropriate disciplinary action. Management has the right to take direct disciplinary action. A student may be immediately expelled from the hostel on short notice on the grounds of indiscipline.
98. Jammer in hostel premises shall be functional in the hostel as per UGC norms. No student shall be allowed to oppose these rules in any way. In case of violation of these rules, student shall attract suspension for 3 days or expulsion from the hostel.
99. Students may drop their suggestions and complaints in the **"Suggestion/Complaint Box"** at the concerned departments.
100. All the above rules shall be equally applicable to the research scholars also.

निष्कासन।

96. विश्वविद्यालय से निष्कासन और उसके परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश से वंचित करना। जब तक कि रैगिंग करने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, विश्वविद्यालय सामूहिक दण्ड का सहारा ले सकता है।

छात्रावास प्रबंधन के अधिकार

97. उपरोक्त नियमों का उल्लंघन, छात्रावास प्रबंधन द्वारा जाँच को आमंत्रित करेगा। यदि विद्यार्थी दोषी पाया जाता है, तो छात्रावास प्रबंधन उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। प्रबंधन को सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, तथा अनुशासनहीनता के आधार पर तत्काल विद्यार्थी का छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है।

98. यू.जी.सी. मानदण्डों के अनुसार मोबाईल निरोधक यंत्र छात्रावास परिसर में क्रियात्मक होंगे। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से इन नियमों का विरोध करने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर, विद्यार्थी को 3 दिनों के लिए निलम्बन या पूर्णरूपेण छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

99. विद्या एवं व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव व शिकायतें विद्यार्थीगण उस विभाग से सम्बन्धित "सुझाव/शिकायत पेटिका" में डाल सकते हैं।

100. उपरोक्त समस्त नियम शोधार्थियों पर भी समानरूप से लागू होंगे।

Notes :